

06/04/22

पत्रावली काज देखा है। दोनों पक्षों के वकील
 उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच
 सुनी गयी मूल प्रकरण नं. 167/21 का
 मतलब कि जाया। मूल प्रकरण 167/21 विचारणीय
 के लक्षण है विचारणीय की जायगी का
 जायगी के मतलबों के तदनुसार होने के
 प्रकरण द्वारा कि 06/04/22 के दिनांक को
 मूल प्रकरण का प्रारंभ है रहित कि जाया।
 जायगी का प्रकरण मूल प्रकरण है कि
 जाने हेतु उक्त जायगी पर 13/04/22 को
 मूल प्रकरण है कि जाया है मूल प्रकरण
 कि का मतलब नजर रखने हुए जायगी का
 निवार कि जाया मूल प्रकरण नं. 167/21
 पर मूल प्रकरण प्रकरण विचारणीय पर प्रकरण
 मूल प्रकरण है कि जायगी के मतलब नजर
 जाने है। पत्रावली निर्दिष्ट सुधार हेतु
 प्रकरण है


 1. हायक कलेक्टर का सामानाजी

(Faint official stamps and text at the bottom of the page)